क्रमांक–71

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग–दो

सोमवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 24, 1947)

विधान सभा की स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2025–2026 की शेष अवधि हेतु निर्वाचन का कार्यक्रम.

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन के लिये निम्नानुसार निर्वाचन कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की गई है:–

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधानसभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को **अपरान्ह् 1:00 बजे** तक दिये जा सकते हैं।

2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 को **अपरान्ह् 2:00 बजे** विधानसभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक–सी–1 में होगी।

3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को **अपरान्ह् 4:00 बजे तक** विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है।

4. निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को **प्रातः 11:00 बजे से अपरान्ह् 3:00 बजे तक** विधानसभा भवन स्थित **समिति कक्ष क्रमांक–सी–1** में होगा।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त, निर्वाचनों में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित "**सूचना कार्यालय**" से प्राप्त किये जा सकते हैं।

दिनेश शर्मा
सचिव.
छत्तीसगढ़ विधान सभा